from 28.1.1995 to 20.11.1996, using cheque leaves from the cheque book which was not handed over to the account holder.

(c) The matter has been investigated by the Zonal Office, Bank of India as well as by the Police. The employees of the St. John Ambulance Brigade who had collected the cheque books' and with drawn money by forging signature has been dismissed from the services by his employer. The question of staff accounta bility will arise in the event of the result of police investigation pointing in that direction.

(d) As and when a fraud comes to the notice in public sector banks, the matter is investigated by the. concerned au thorities and at the time of investigation staff accountability is also looked into.

बैंक-ऋणों के चूककर्ता

661 **श्री बरजिन्दर सिंह :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतिय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा यह मांग की गई है कि बैंकों से 10 लाख रुपये से अधिक का ऋण लेने वाले ऋणी व्यक्तियों के नाम घोषित किए जाएं जो निर्धारित समय के भीतर ऋण चुकाने में विफल रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्धारित समय के भीतर ऋण वापस न कर पाने वाले ऋणी व्यक्तियों के ऊपर 42,000 करोड़ रुपये की राशी बकाया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अनुमानत: ऐसी कितनी बकाया राशि है ; और

(घ) सरकार ऐसे चूककर्ताओं के नामों की सूची कब तक प्रकाशित कर देगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर0 जनार्दन) : (क) अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव ने दिनांक 19 दिसम्बर, 1996 को तत्कालीन वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें बैंकिंग उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 10 लाख रुपए से अधिक के सभी बैंक चूककर्ताओं की सूची का पूर्ण रुप से प्रकटन शामिल था।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उनके पास अध्ययन उपलब्ध सूचना के आधार पर दिनांक 31.3.1997 को स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 43577.89 करोड़ रुपए की राशि अनुपयोज्य आस्थियों (एन0पी0ए0) के रूप में बकाया है।

(घ) भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय III – क में निहित उपबंधों के अनुसार व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के ब्यौरे प्रकट करना मना है। जब किसी उधारकर्ता के बिरुद्ध मुकदमा दायर किया जाता है, ये ब्यौरे प्रकट किए जा सकते हैं। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को उन उधार खातों कि सूची प्रकाशित करता है जिनकी कुल राशी एक करोड़ रूपए और उससे अधिक है तथा जिनके विरुद्ध बैंक ओर वित्तीय संस्थाओं ने अपनी प्राप्त राशियों की वसुली के लिए वाद दायर किए हैं।

भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन

662. **श्री बरजिन्दर सिंह :**
श्री बलबन्त सिंह रामूवालिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कुल अवमूल्यन का प्रतिशत क्या था; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान अवमूल्यन के कारण देश को विदेशी ऋण के भुगतान के संबंध में ब्याज ओर ऋण कि किस्त के रूप में कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा और मार्च, 1997 और मार्च, 1998 के अन्त में विदेशी ऋण की राशि कितनी-कितनी थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) ओर (ख) भारत में रूपए की विनिमय दर बाजार निर्धारित होती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत, रुपए की विनिमय दर बाजार निर्धारित होती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत, रुपए के विनिमय दर दैनिक आधार पर दोनों दिशाओं में परिवर्तित होती रहती हे। 1997-98 के दौरान, अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में 1996-97 के ओसत मुल्य कि तुलना में 4.48 प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ।

(ग) विदेशी ऋण सेवा अदायगियां (ऋण की वापसी अदायगियां और ब्याज अदायगियां) साधारणतया उस मुद्रा में की जाती हे जिसमें ऋण मूल्यवर्गित होता है। इस प्रकार रुपए की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव संबंधित मुद्राओं में देश की विदेशी ऋण